

29/11/20

रिपोर्ट पटवारी हलका / आर०एल०आर०
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

महोदयजी, राजस्व मंत्र कुमुदरा के खाता संख्या
15-54 में जमीन का नाम सुनिहपुर देहिगावा दर्ज किया है। पालकी प्रमाणित
प्राप्ति-पत्र, सामान्य पत्र व खेतीकरण के पत्र, आधार पर मांगी गई जमा राशि
5700/-

(Signature)
तहसीलदार, उदयपुरवादी / गुढागौड़जी

102 शीय
कर रिपोर्ट
जिसे
स्वर

दिनांक :-

उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवादी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक
जमीन मुक्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम सुनिहपुर देहिगावा की जमीन की अभिलेखा की जाती है / नहीं

उचित किया जाता
उचित है।

(Signature)
29/11/20
तहसीलदार, उदयपुरवादी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक क्लर्क उदयपुरवादी जिला सुशुभ्र (राज.)

आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता वृत्त" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (मू०अ०)
उदयपुरवादी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में
निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू०अ०) उदयपुरवादी / गुढागौड़जी को राजस्व
रिकार्ड में अमल दस्तावेज के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सन्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	पुलिया	2075-76	15/54	सुनिह देहिगावा जमीन	सुनिह देहिगावा जमीन

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की
पालना की जावे।

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवादी

दिनांक :- 29/11/20

क्रमांक :- राजस्व/2020/1792-43
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (मू०अ०) उदयपुरवादी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया

को सूचनार्थ।

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवादी